CSIR-CENTRAL SCIENTIFIC INSTRUMENTS ORGANISATION

सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन

Sector 30-C, Chandigarh-160 030 (India)

सेक्टर 30-सी, चंडीगढ़-160030 (भारत)

विज्ञापन संख्या नियमित - 04/2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि : **09.01.2026**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: **09.02.2026**

क. सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चंडीगढ़, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है, जो मापन विज्ञान और उपकरण प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए वैज्ञानिक विषयों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल है। संगठन कृषि-उपकरण, जैव चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिकल उपकरण और प्रणाली, भू-वैज्ञानिक उपकरण, सटीक यांत्रिक प्रणाली, विश्लेषणात्मक तकनीक और अनुसंधान एवं विकास सहायता सुविधाएं, कम्प्यूटेशनल उपकरण आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए समर्पित है और सीएसआईआर-सीएसआईओ के केंद्र चेन्नई में स्थित हैं।

ख. सीएसआईआर-सीएसआईओ निम्नलिखित प्रशासनिक रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है: -

क्र. सं.	**पद और समूह का नाम**	**पोस्ट कोड**	**पदों की संख्या एवं आरक्षण**	**भुगतान मैट्रिक्स**	**प्रति माह कुल परिलब्धियां (लगभग)****	**आवश्यक योग्यता**	**ऊपरी आयु सीमा (अंतिम तिथि तक) से अधिक नहीं**
1.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (नॉन-टेक ग्रुप 'C')	एमटीएस	7 पद (यूआर - 4, ओबीसी - 2, ईडब्ल्यूएस - 1) क्षैतिज आरक्षण: ईएसएम - 1 पद, पीडब्ल्यूबीडी* - 2 पद (1 - वीएच, 1 - एचएच)	लेवल-1, सेल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन- 18,000 रुपये - 56,900 रुपये)	36,306 रुपये/- (चंडीगढ़ में)	**मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण** **वांछित योग्यता: इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) पास।**	25 वर्ष

संक्षिप्त रूप: यूआर: अनारक्षित, ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी*(वीएच, एचएच): मानक विकलांगता वाले व्यक्ति (अंधापन और कम दृष्टि, बधिर और सुनने में कठिनाई), ईएसएम: पूर्व सैनिक

**01.07.2025 तक वेतन स्तर के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियों से है, जो कि दर्शाए गए वेतन स्तर पर लागू है, जिसमें नियमों के अनुसार परिषद कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं।

पदों का विवरण

1. **मल्टी-टास्किंग स्टाफ (**एमटीएस**)**

कार्य विवरण - नियुक्त व्यक्ति को संबंधित अनुभाग/प्रभाग के दैनिक कार्यालयी कार्य और गैर-लिपिकीय कामों में सहायता करनी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: -

- अनुभाग/प्रभाग कक्ष खोलना और बंद करना।
- अनुभाग के रिकॉर्ड का रखरखाव।
- अनुभाग की सामान्य सफ़ाई और रखरखाव।
- फ़ाइलें और दस्तावेज़ दूसरे अनुभाग में ले जाना।
- फ़ोटोकॉपी करना, फ़ैक्स भेजना, वगैरह।
- डाक पहुँचाना।
- चाय/कॉफ़ी वगैरह बनाना और देना।
- सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई भी अन्य सरकारी काम।

चयन प्रक्रिया - चयन प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर के नियमों के अनुसार होगीऔर इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विज्ञापित मानदंडों के आधार पर आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

- पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। विधिवत गठित चयन समिति ट्रेड टेस्ट का तरीका तय करेगी और उसे आयोजित करेगी।

- जो लोग ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

- **लिखित परीक्षा** - मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न सीएसआईआर के समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, जिसका विवरण परिशिष्ट - 1 में दिया गया है। प्रतियोगी लिखित परीक्षा में केवल एक पेपर होगा जिसके चार भाग होंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

भाग - I - सामान्य बुद्धिमत्ता
भाग - II - मात्रात्मक योग्यता
भाग - III - सामान्य जागरूकता
भाग - IV - अंग्रेजी भाषा और समझ

टाई के मामले - जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान कुल अंक प्राप्त हुए हैं, वहां 'टाई के मामलों' को हल करने की कार्यप्रणाली सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो पत्र संख्या 5-1(211)/2014-PD दिनांक 30.05.2023 द्वारा अधिसूचित है और वेबसाइट www.csir.res.in पर उपलब्ध है।

A. सामान्य जानकारी एवं शर्तें :-

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

a. इन पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य और सीएसआईआर में लागू सामान्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसे महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए), आदि। परिषद के कर्मचारी उपलब्धता के आधार पर सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार अपने हकदार प्रकार के आवास के पात्र भी हैं। ऐसे मामलों में, एचआरए नहीं दिया जाएगा।

b. प्रत्येक श्रेणी के पदों के सामने दर्शाई गई परिलब्धियों के अतिरिक्त, मौजूदा सीएसआईआर (CSIR) नियमों के अनुसार नई पेंशन योजना - 2004 की प्रयोज्यता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कंप्यूटर अग्रिम जैसे लाभ उपलब्ध हैं।

2. अन्य शर्तें

i) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ii) सभी आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हताएँ और अन्य शर्तें पूरा करते हों। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विभि्रन पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हों। पात्रता के संबंध में मांगी गई किसी जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii) निर्धारित की गई अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें पूरा करने पर उम्मीदवार को ट्रेड टैस्ट/लिखित परीक्षा इत्यादि (जो भी लागू हो) में बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विधिवत् गठिन संवीक्षा समिति उम्मीदवारों के चयन के लिए स्वयं अपने मानदंड निर्धारित कर सकती है। अतः उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त दसवीं एवं बाद की अर्जित समस्त अर्हताओं एवं अनुभव का उल्लेख अपने आवेदन में करें।

iv) उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ने के बाद संगत शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव संबंधी जानकारी विधिवत् भरकर स्कैन की गई फोटोग्राफ सहित केवल ऑनलाइन मोड में अपलोड करें।

v) निर्धारित अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों इत्यादि से प्राप्त की गई होनी चाहिएँ। अधूरे/अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय आवेदक को अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

vi) उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा विधिवत गठित कमेटी द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी। केवल चयनित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र/अनुशंसापत्र, आयु आदि सत्यापन हेतु जमा करने के लिए कहा जाएगा। यदि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र/अनुशंसापत्र आदि के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को भविष्य में इस संगठन में आवेदन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

vii) अनिवार्य योग्यताओं में 'समकक्षता क्लॉज' (Equivalence Clause) के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता का समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को उस आदेश/पत्र, और प्राधिकरण (नंबर और तारीख के साथ) का उल्लेख करना आवश्यक है जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है; अन्यथा, आवेदन निरस्त माना जाएगा।

viii) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव की अवधि, यदि कोई हो तो,को आवेदन पत्र में अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।संबंधित विषय/कार्य के क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां निर्धारित है, की गणना उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।

ix) यदि कोई प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी अन्य भाषा में दिया जा रहा है तो राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित उसकी अंग्रेजी अथवा हिंदी प्रति साथ में संग्लग्न की जाए।

x) अधिकतम आयु सीमा, योग्यता एवं/अथवा अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

xi) भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते कि पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त हो।

xii) संस्थान लिंग अनुपात आधारित जनशक्ति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, अतः महिला कर्मियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

xiii) चयनित उम्मीदवार संस्थान में पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या दृघटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी सेवा के स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

xiv) राजभाषा नियमों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

xv) परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर भी यह नियुक्ति किसी भी समय नियोक्ता अथवा नियुक्त कर्मी द्वारा एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। हालांकि नियोक्ता प्राधिकरण तत्काल अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पूर्व नोटिस की अवधि अथवा इसके शेष भाग के समय के वेतन व भत्तों का भुगतान करके नियुक्त कर्मी की सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

xvi) परिषद् की सेवा के दौरान भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है। सीएसआईआर-सीएसआईओ जनहित में किसी भी कर्मी को एक प्रयोगशाला/संस्थान से दूसरे में या उसके किसी विस्तार/क्षेत्रीय केंद्र में स्थानांतरित कर सकता है। निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ किसी भी कर्मचारी को संगठन/प्रयोगशाला मुख्यालय से इसके विस्तार/क्षेत्रीय केंद्र या विलोमतः स्थानांतरित कर सकते हैं।

xvii) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधान तथा परिषद् कर्मियों पर लागू समय-समय पर प्राप्त होने वाले ऐसे कोई अन्य नियम या निष्पादन आदेश लागू होंगे जिनकी नियुक्ति के संबंध में प्रयोज्यता होगी तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

xviii) चयन किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सीएसआईआर-सीएसआईओ में अथवा कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने पहले ही किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन दिया है तो उन्हें ऐसे आवेदनों का विवरण इस संस्थान में कार्यग्रहण के तत्काल बाद देना होगा।

xix) किसी विशेष पद को न भरने का अधिकार सीएसआईआर-सीएसआईओ के पास सुरक्षित है।

xx) उपरोक्त उल्लिखित रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं तथा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तथापि, आवश्यकतानुसार इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना हमारी वैबसाईट पर दी जाएगी।

xxi) विज्ञापन में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषय पर निदेशक, सीएसाआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

xxii) पात्रता, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, चयन की पद्धति, परीक्षा लेने संबंधी सभी मामलों में सीएसआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

xxiii) किसी भी सिफारिश और/अन्य किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

xxiv) किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

xxv) अद्यतन जानकारी (संवीक्षा सूची, परीक्षा की तिथि, टंकण परीक्षा, कम्प्यूटर परीक्षा, लिखित परीक्षा) के लिए नियमित तौर पर सीएसआईआरसीएसआईओ की वैबसाइट www.csio.res.in देखें। इस भर्ती के संबंध में सीएसआईआरसीएसआईओ की ओर से किसी प्रकार के संप्रेषण के लिए अपनी पंजीकृत ई.मेल भी देखते रहें।

3. आयु सीमा एवं छूट :

i. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

iii. **ओबीसी (एनसीएल)** के लिए आयु सीमा भारत सरकार के नियमों के अनुसार मान्य होगी, बशर्ते पद उस श्रेणी के लिए आरक्षित हो। **ओबीसी** अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु में छूट भारत सरकार द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगी।

iv. ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र है और वह निर्णायक तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। ओबीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। उनकी उपजाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी को किसी भी लागू आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा । (ओबीसी प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए, कृपया परिशिष्ट II देखें)

v. **ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के तहत** आरक्षण का लाभ डीओपीटी (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 31.01.2019 और इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की निर्णायक तिथि पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। निर्णायक तिथि के बाद और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

vi. इसके अलावा, परिवार की सकल वार्षिक आय की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता हो और उसके पास वित्तीय वर्ष (FY) 2024-2025 की आय पर आधारित और 01.04.2025 को या उसके बाद (वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के बाद) लेकिन ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले जारी आवश्यक आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र हो। (ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए, कृपया परिशिष्ट III देखें)

vii. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग रह चुकी महिलाओं, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक की है (अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए 38 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को कॉलम 'कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी' में इसे इंगित करना आवश्यक होगा।

- विधवा उम्मीदवारों के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा यह शपथ पत्र कि उसने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है, प्रस्तुत करना होगा।
- तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है, प्रस्तुत करना होगा।

viii. **दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी)** को आयु में छूट: केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष तथा **ओबीसी** अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष) दी जाएगी, बशर्ते कि निर्णायक तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु

56 वर्ष से अधिक न हो। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि शारीरिक दिव्यांगता की मात्रा 40% या उससे अधिक है। किसी भी स्थिति में, इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक संबंधित पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से सक्षम पाया जाए।

ix. **बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षण - क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation):** (प्रमाण पत्र प्रारूप के लिए परिशिष्ट IV देखें) **आरक्षण हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी:** केवल वे व्यक्ति ही शर्तों में छूट/पदों में आरक्षण के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता **कम से कम 40%** हो। वे **बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD)** जिन्होंने शर्तों में छूट और/या आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें **दिव्यांगता अधिकार नियम, 2017** के **अध्याय 7** के अंतर्गत **नियम 18(1)** के **प्रपत्र V, VI एवं VII** के अनुसार **सक्षम प्राधिकारी** द्वारा जारी **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा (दिनांक **15.06.2017**)।

(PwBD प्रमाण-पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट-IV** देखें)

- **मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद के लिए स्वीकार्य विकलांगता:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DD-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार।

x. **आरक्षण/छूट लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना:** ईडब्ल्यूएस (EWS)/ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD) के अंतर्गत उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। अभ्यर्थियों के पास अपने दावे के समर्थन में, नियमों/सूचना में निर्धारित अनुसार, सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध होने चाहिए तथा संगठन द्वारा माँगे जाने पर उन्हें निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, OBC/EWS/PwBD श्रेणी के अंतर्गत उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता को सामान्य (अनारक्षित–UR) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। PwBD कोटा के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी (SC/ST/OBC/अनारक्षित–UR) की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

xi. **भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण** - क्षैतिज आरक्षण:-

- **रियायतें एवं छूट:** भूतपूर्व सैनिकों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता में छूट भारत सरकार/सीएसआईआर के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार दी जाएगी।
- भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ/एसएससीओ सहित) के मामले में ऊपरी आयु सीमा में **तीन** वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में की गई निरंतर सेवा सत्यापन के बाद छह महीने से कम न हो।
- जो भूतपूर्व सैनिक केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी नागरिक पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी अन्य उच्चतर पद या सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आयु-छूट का लाभ दिया जाएगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यदि कोई हो, आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
- रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को यह प्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा बलों से मुक्त किया जा चुका है। भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशंड अधिकारियों (जिसमें ECOs/SSCOs शामिल हैं) के लिए प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
  (भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट-V** के अनुसार होगा।)

- भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी की वास्तविक आयु में से उसकी वास्तविक सैन्य सेवा की अवधि घटाई जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त आयु, संबंधित पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से **3 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
- दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में **45 वर्ष तक** (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने की स्थिति में **50 वर्ष तक**) की छूट दी जाएगी।
- जो भूतपूर्व सैनिक केंद्र सरकार के अंतर्गत **ग्रुप "C" एवं "D"** पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन हेतु दिए गए आरक्षण लाभ का उपयोग करते हुए नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हैं, वे **ESM श्रेणी** के अंतर्गत शुल्क में छूट या आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे **केवल आयु-छूट** के पात्र होंगे।
- भूतपूर्व सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में की गई "**कॉल-अप सेवा**" की अवधि को भी आयु-छूट के प्रयोजन हेतु सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
- संघ के तीनों सशस्त्र बलों का कोई भी सेवाकर्मी, आरक्षण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक माने जाने हेतु, संबंधित पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर चुका होना चाहिए; अथवा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रामाणिक दस्तावेज़ों द्वारा यह सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन की अंतिम तिथि से **एक वर्ष** की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा-अवधि पूर्ण कर लेगा।
- भूतपूर्व सैनिक या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD) श्रेणी का वह अभ्यर्थी जो आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा आदि में दी गई छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चयन हेतु उपयुक्त पाए जाने पर **सामान्य रिक्तियों के विरुद्ध नहीं**, बल्कि **आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध** ही गिना जाएगा। जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों का संबंध है, उनकी आयु में की गई कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों–दोनों के विरुद्ध अनुमेय है और इसे आयु के संदर्भ में **रियायती मानक** नहीं माना जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए **वेतन संरक्षण (Pay Protection)** का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- भूतपूर्व सैनिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक में–चाहे वह युद्धक (combatant) हो या गैर-युद्धक (non-combatant)–सेवा की हो और जो पेंशन अर्जित करने के बाद उस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से, परंतु पेंशन अर्जित करने के पश्चात, सेवा से सेवानिवृत्ति ली हो; अथवा–

  I) जिन्हें सैन्य सेवा से संबंधित चिकित्सकीय कारणों/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सेवा से मुक्त किया गया हो और जिन्हें चिकित्सकीय या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई हो; या

  II) जिन्हें संगठनात्मक कटौती के परिणामस्वरूप, अपनी इच्छा के अतिरिक्त, सेवा से मुक्त किया गया हो; या

  III) जिन्हें कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी/मुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर, अपनी इच्छा के बिना, निर्धारित सेवा-अवधि पूर्ण करने के पश्चात सेवा से मुक्त किया गया हो और जिन्हें ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के **टेरिटोरियल आर्मी** के कार्मिक भी शामिल हैं:

  a) निरंतर अवतरित सेवा के लिए पेंशनधारी,
  b) सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता वाले व्यक्ति, तथा
  c) वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता।

- संघ के सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें निर्धारित सेवा-अवधि की समाप्ति से **एक वर्ष पूर्व** पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ ले सकते हैं; किंतु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा-अवधि पूर्ण किए बिना वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के **पुत्रों, पुत्रियों एवं आश्रितों** को आयु-सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में, आवेदन पत्र के **'अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी'** वाले कॉलम में **डिस्चार्ज बुक/प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति का क्रमांक/तिथि** अवश्य अंकित की जानी चाहिए।

3. आवेदन कैसे करें :

i) योग्य उम्मीदवार हमारी वैबसाइट **http://www.csio.res.in** के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट या अ्य कोई दस्तावेज सीएसआईआरसीएसआईओ में डाक द्वारा या स्वयं आकर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अ्य दस्तावेजों सहित अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट संदर्भ और आगामी सत्यापन के लिए अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

ii) यदि उम्मीदवार का वैध ई.मेल आई.डी. नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उसे नया वैध ई.मेल आई.डी. बनाना होगा।

iii) ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआरसीएसआईओ वैबसाइट **http://www.csio.res.in** पर दिनांक 09.02.2026 सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेंगें।

iv) ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि 09.02.2026 तक सायं 5.00 बजे तक है।

v) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

vi) सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रु.500/(मात्र पॉच सौ रुपए) + जीएसटी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क लागू है, जोकि अप्रतिदेय है। फीस केवल स्टेट बैंक कलैक्ट पर ऑनलाइन जमा की जाए। फीस के सफल भुगतान के बाद जारी हुई ट्रांसैक्शन संख्या ऑनलाइन आवेदन में भरी जानी आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई.रसीद डाउनलोड करें तथा अपने पास सम्भाल कर रखें। ऑनलाइन फीस जमा कराने का तरीका सीएसआईआरसीएसआईओ वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुदेशों में अंकित है।

vii) एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/महिला/नियमित सीएसआईआर कर्मचारियों को आवेदन शुल्क में छूट होगी।

viii) सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आादि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के मामले में उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमों के तहत दिए गए फार्मूले के अनुसार इसे प्रतिशत में बदलकर लिखें।

ix) 'सबमिट बटन' पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित पृष्ठ पर जारी किया गया 'आवेदन फार्म नम्बर' प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन सफल माना जाएगा। कृपया इसे सावधानीपूर्वक नोट करके अपने पास रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन को दोबारा प्रिंट नहीं कर पाएंगे।

x) प्रस्तुत किया गया आवेदन वापिस नहीं लिया जा सकता तथा जमा की गई फीस की राशि भी किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जा सकती, न ही इसे किसी अ्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रिज़र्व में रखा जा सकता है।

xi) इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंत में हड़बड़ी से बचने के लिए समय पर आवेदन करें तथा ऑनलाइन तकनीकी कारणों/समस्याओं के आधार पर अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।

xii) सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी आवेदक और उम्मीदवार भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन उचित माध्यम से भेजा जाए, साथ ही सतर्कता मंजूरी और वर्तमान नियोक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न हो कि चयनित होने पर आवेदक को नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमों के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। **उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन वरिष्ठ प्रशासनिक नियंत्रक, सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सेक्टर 30-सी, चंडीगढ़-160030 को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से एक (01) माह के भीतर पहुंच जाने चाहिए।आवेदन जमा करते समय उम्मीदवार अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। (अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट VI के अनुसार है)**

xiii) अपूर्ण (अर्थात् फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लागू शंसापत्रों/आवेदन शुल्क (जहाॅं भी लागू हों) आदि अपलोड के बिना) आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इ्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

xiv) ऑनलाइन आवेदन फार्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की वापसी/आशोधन/रद्द होने की अनुमति नहीं है।

xv) यदि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में जमा किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

xvi) सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने निर्धारित प्रमाणपत्रों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आयु, योङ्गयता, अनुभव, जाति/आरक्षित श्रेणी के संदर्भ में सभी आवश्यक पात्रता शतोर्ं को पूरा करते हों, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा गलत दी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज, जोकि बाद की तारीख में ज्ञत होती है, की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, बेशक गलत जानकारी देने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई ही ङ्मयों न की गई हो।

xvii) आवेदन पत्र में झूठी या गलत जानकारी देना आवेदन प्रक्रिया का उल्लंद्घन होगा।

नोट : इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण और इसके हिंदी अनुवाद के बीच विसंगतियों की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक

प्रमाण पत्रों के प्रारूप:

1. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप। (परिशिष्ट II)

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट III)

3. दिव्यांगजन प्रमाण पत्र का प्रारूप। (परिशिष्ट IV)

4. सेवारत/सेवानिवृत्त/मुक्त सशस्त्र बल कर्मियों के लिए प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट V)

5. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप। (परिशिष्ट VI)

Appendix I

[CSIR letter No. 5-1(315)/2015-PD dated 09.04.2018]

Annexure-IV

Syllabus of written test for Non-Technical Posts in CSIR

Multi-Tasking Staff (Group – C)

Mode of Examination	OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination.
Medium of Questions	The questions will be set both in English and Hindi except the questions on English Language. In addition, the Labs./Institutes may also explore the possibility of setting questions in the vernacular language
Standard of exam	Class X
Total No. of Questions	150
Total Time Allotted	2 hours

Subject	No. of questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Intelligence	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
Quantitative Aptitude	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
General Awareness	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
English Language	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

MANUEL THOMAS 9 APR 2018
Sr. Dy. Secretary

No. 36036/2/2013- Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
****

North Block, New Delhi
Dated: 30th May, 2014

To,

The Chief Secretaries of
all the State Governments/Union Territories

Subject: Revision of format for OBC Caste Certificate

Madam/Sir,

The Government of India had issued instructions on 8th September, 1993 vide DoPT O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) providing for reservation to Other Backward Classes in the services and posts under the Government of India. The format of the Caste Certificate was prescribed vide Annexure A of the O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 15th November 1993. In the said format, the then Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993 was mentioned, which contained the list of castes and communities treated as OBCs till that time. Since then, a large number of castes and communities have been added to the Central List of OBCs through various resolutions of the Ministry of Social Justice and Empowerment. The details of the resolutions subsequent to the Resolution dated 10th September 1993 do not find mention in the existing format. The said format also prescribes that the certificate issuing authority should certify that the candidate does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the aforesaid O.M. dated 8.9.1993.

2. Representations have been received in this Department wherein candidates belonging to OBC Communities have reportedly faced difficulty in getting the benefits of reservation. This is because of the fact that in the caste certificate issued by the concerned district authorities, although the name of the caste/community is mentioned in the certificate, the specific resolution by which the said caste/community has been included in the Central List of OBCs is not indicated.

3. Keeping in view such problems faced by the candidates, this issue was examined in consultation with the National Commission for Backward Classes and it has been decided to revise the existing format of OBC Caste Certificate. A copy of the revised format is enclosed (**Annexure**). All the certificate issuing authorities are requested to invariably mention the details of the **Resolution (Number and Date) by which the caste/community of the candidate** has been included in the Central List of OBCs and also to ensure that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the aforesaid O.M. dated 8.9.1993 as amended from time to time.

4. I am to request that the revised format of the Certificate may please be brought to the notice of authorities under the State Governments/Union Territories who are empowered to issue the Caste Certificate.

Yours faithfully

(Sandeep Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Phone- 011-23092110

Copy to:

1. All Ministries/ Departments of the Government of India
2. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001
3. Department of Public Enterprises, Block No.14, CGO Complex, New Delhi-110003
4. Railway Board, Ministry of Railways, *Rail Bhavan*, New Delhi
5. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission
6. Staff Selection Commission, CGO Complex. Lodhi Road, New Delhi
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi(w.r.t. their letter No.NCBC/7/32/2012-RW dated 16.5.2013)
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi – 110 002
11. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
12. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
13. The NIC, DoPT with a request to upload it at the website of this Department in OMs & Orders →Estt.(Reservation) → SC/ST/OBC and also under '*What's New*'

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________________ son/daughter of ____________________ of village/town ____________________ in District/Division ____________________ in the State/Union Territory ____________________ belongs to the ____________________ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. ____________________ dated ____________*. Shri/Smt./Kumari ____________________ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ____________________ District/Division of the ____________________ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 – Estt.(SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
**-. As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Government of ....
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. __________ Date: ___________________

VALID FOR THE YEAR__________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________________ son/daughter/wife of _________________________ permanent resident of _____________________, Village/Street _____________ Post Office _____________ District_________ in the State/Union Territory _______________ Pin Code__________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _______. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

I. 5 acres of agricultural land and above;
II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ______________________ belongs to the _______ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office_____________
Name _________________________
Designation _________________

Recent Passport size attested photograph of the applicant

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2:The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Performa-V

Appendix IV

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent Passport size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. ………………….. Date: ……………

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum ………………………….. son/ wife/ daughter of Shri…………………………… Date of Birth …………………………… (DD/ MM/ YY) Age ………….. years, male/female ………………………… Registration No. ……………. permanent resident of House No. ……………. Ward/Village/Street ……………………. Post Office …………………….. District ………………………….. State ……………………………… whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of :

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is ……………………………………..

(A) He/ She has ……………………% (in figure)……………………….. percent (in words) permanent Locomotor Disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ………………. (part of body) as per guidelines (…………………number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

Form-VI

Certificate of Disability

(In case of multiple disabilities)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent Passport size Attested Photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. …………………. Date: ………………….

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt/Kum ……………………….. /son/wife/daughter of Shri …………………….. Date of Birth……………… (DD)/(MM)/(YY) ………. Age ……..years, male/female…………………. Registration No…………………………… permanent resident of House No…………………..Ward/Village/Street………………………………….. ………… Post Office ………………. District………………………… State …………………. whose photograph is affixed above, and are satisfied that:

(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (…………..number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (.........number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures:- ....percent
In words:- ....percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,
Or
(ii) is recommended/ after .... years.......................... months, and therefore this certificate shall be valid till................ (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form-VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

[See rule 18(1)]

Recent Passport size Attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate No. ……………………… Date: …………………

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum …………………… son/wife/daughter of Shri ……………………… Date of Birth…………………… (DD)/(MM)/(YY) Age ………… years, male/female……………… Registration No. ……… permanent resident of House No……………. Ward/Village/Street ………… Post Office ……… District………….. State ……………………………… whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of …………………… disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary
Or

(ii) is recommended/ after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till .... (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
certificate is issued by a medical
authority who is not a government
servant (with seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India by Ministry of Social Justice and Empowerment vide notification number 489, dated 15.06.2017.

Performa-IV

CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SERVING/RETIRED/RELEASED ARMED FORCES PERSONNEL FOR AVAILING THE AGE CONCESSION FOR POSTS FILLED BY DIRECT RECRUITMENT BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION OTHERWISE THAN ON RESULTS OF AN OPEN COMPETITIVE EXAMINATION

A. Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel

It is certified that No.................... Rank.................... Name..whose date of birth is.................... has rendered service from.................... to.................... in Army/Navy/Air Force.

2. He has been released from military services:

% a) on completion of assignment otherwise than
  (i) by way of dismissal, or
  (ii) by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or
  (iii) on his own request, but without earning his pension, or
  (iv) he has not been transferred to the reserve pending such release

%b) on account of physical disability attributable to Military Service.

%c) on invalidment after putting in at least five years of Military service

3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time

Place: ....

Date: ....

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority**
SEAL

% Delete the paragraph which is not applicable.

B. Form of Certificate for Serving Personnel

(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)

It is certified that No. ……………Rank……….Name………. is serving in the Army/Navy/Air Force from……………………

2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on……………..

3. No disciplinary case is pending against him.

Place: ....

Date: ....

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority**
SEAL

Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:

Undertaking to be given by serving Armed Force personnel who are due to be released within one year

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Place:

Date:

Signature and Name of Candidate

C. Form of Certificate applicable for Serving ECOs/SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment

It is certified that No................ Rank.................... Name... whose date of birth is....................is serving in the Army/Navy/Air Force from.....................

2. He has already completed his initial assignment of five years on……………and is on extended assignment till………………

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Place:

Date:

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority**
SEAL

**Authorities who are competent to issue certificate to Armed Forces Personnel for availing Age concessions are as follows:

(a) In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.
Army - Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi
Navy - Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi
Air Force - Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi

(b) In case of JCOs/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.
Army - By various Regimental Record Offices
Navy - BABS, Mumbai
Air Force - Air Force Records, New Delhi

FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS/AUTONOMOUS BODIES /STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.

(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)

No. …………… **Date:** [DD/MM/YYYY]

No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position]. This department/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

Place: ....

For [Name of Department/Organization],

[Signature of Issuing Authority] [Name of Issuing Authority] [Designation of Issuing Authority]

[Official Seal/Stamp]
[Contact Information]
[Department/Organization Address]